

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 355] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 4, 1979/भाद्र 13, 1901
No. 355] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 4, 1979/BHADRA 13, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1979

अधिसूचना

का. आ. 506 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 48) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी तारीख 29 जनवरी, 1977 की अधिसूचना सं. 434/लक्ष्मीप/77(1) के अतिरिक्त करते हुए, निर्वाचन आयोग लक्षद्वीप सरकार के निम्नलिखित आफिसरों को लक्षद्वीप संघ राज्य-क्षेत्र के लक्षद्वीप संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर की उसके क्षेत्रों के पालन में सहायता करने के लिए नियुक्त करता है :—

1. तहसीलदार, अन्दरोथ ।
2. तहसीलदार, कबाराट्टी ।

3. उप कलेक्टर, मिनिकोय ।
4. तहसीलदार, अमीनी ।
5. तहसीलदार निर्वाचन ।

[सं. 434/लक्षद्वीप/79]

जी. के. राव, अवर सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 4th September, 1979

NOTIFICATION

S.O. 506(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of the Commission's notification No. 434/LD/77(1) dated the 29 January, 1977 the Election Commission hereby appoints the following Officers of Government as Assistant Returning Officers to assist the Returning Officer of Lakshadweep Parliamentary constituency in the Union Territory of Lakshadweep in the performance of his functions :—

1. Tahsildar, Androth
2. Tahsildar, Kavaratti
3. Deputy Collector, Minicoy
4. Tahsildar, Amind
5. Tahsildar for Election.

[No. 434LD/79]

V. K. RAO, Under Secy.